



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 02 सितम्बर, 2024 / 11 भाद्रपद, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 20th August, 2024*

**No. TCP-F05/5/2023.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor

117—राजपत्र / 2024-02-09-2024

(5389)

of Himachal Pradesh is pleased to appoint the **20th day of August 2024**, as the day on which the provisions of the aforesaid Act, shall come into force in the Revenue Mohals of Tehsil Shahpur, District Kangra, Himachal Pradesh, as described in the specifications below:—

Sl. No.	Name of Revenue Mohal	Hadbast No.	Area (in hectares)	Population (2011)	Remarks
1.	Hara	81	196	2059	Nagar Panchayat
2.	Gorda	79	101	320	
3.	Manjhiar	82	64	482	
4.	Chandroon	78	72	266	
5.	Dolyar	100	61	338	
6.	Jhullar	99	64	578	
7.	Shahpur	82	139	2523	
			423-02-45	5526	

By order,

Sd/  
(DEVESH KUMAR),  
Principal Secretary (TCP).

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 20th August, 2024*

**No. TCP-F05/5/2023.**—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-13 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is further pleased to constitute the “**Shahpur Planning Area**”, which includes the following Revenue Mohals of Tehsil Shahpur, District Kangra and defines its limits as under:—

Sl. No.	Name of Revenue Mohal	Hadbast No.	Area (in hectares)	Population (2011)	Remarks
1.	Hara	81	196	2059	Nagar Panchayat
2.	Gorda	79	101	320	
3.	Manjhiar	82	64	482	
4.	Chandroon	78	72	266	
5.	Dolyar	100	61	338	
6.	Jhullar	99	64	578	
7.	Shahpur	82	139	2523	
		-	423-02-45	5526	

---

**SHAHPUR PLANNING AREA BOUNDARY**

The areas falling within the limits of Nagar Panchayat Shahpur.

By order,

Sd/-  
(DEVESH KUMAR),  
Principal Secretary (TCP).

---

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

*Shimla-2, the 20th August, 2024*

**No. TCP-F05/5/2023.**—Whereas **Shahpur Planning Area** has been constituted under sub-section (1) of Section -13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) *vide* Notification No. TCP-F05/5/2023, dated 20-08-2024;

Whereas Existing Land Use of Revenue Mohals in **Shahpur Planning Area** is yet to be prepared and published under sub-section (1) of Section-15 of the Act *ibid*; and

Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Revenue Mohals of the Planning Area, the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the areas in question in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Act *ibid*, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the Existing Land Use of the **Shahpur Planning Area** from the date of publication of this Notification in the Official Gazette for a period of **five years**.

By order,

Sd/-  
(DEVESH KUMAR),  
Principal Secretary (TCP).

---

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

*Shimla-2, the 20th August, 2024*

**No. TCP-F05/5/2023.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section (1) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the

Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint **20th day of August month of 2024** as the day on which the provision of the aforesaid Act shall come into force in the following part of revenue Mohals/Villages included in the **Chamba Planning Area** constituted *vide* Notification No. PBW (B&R)(32)/86, dated 05-07-1986 and further modified *vide* Notification No. TCP-F(5)-1/2002, dated 16-05-2002, namely:—

Sl. No.	Name of Revenue Village /Mohal	Hadbast No.	Area (in Hectares)	Population (2011)
1.	Sarol	282	282.58	2154
2.	Haripur	283	236.03	2063
3.	Udaipur	16	350.02	2163
4.	Suren	17	177.80	520
5.	Sach	20	266.18	1677
6.	Kakiyan	181	133.00	962
7.	Mangla	49	272.16	2150
8.	Saru	15	267.54	866
9.	Rajpura	284	252.22	1058
10.	Kiyani	286	398.00	1539
11.	Bhanota	14	372.30	1604
12.	Rajnagar	287	422.49	1437
<b>Total..</b>			<b>3430.32</b>	<b>18193</b>

Consequent upon the enforcement of the provisions of the Act *ibid* on above revenue Mohals/Villages, now the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), shall be in force to the re-defined limits of **Chamba Planning Area** and the total revenue Mohals/Villages over which provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) are enforced shall, now be as follows:—

Sl. No	Name of Revenue Village /Mohal	Hadbast No.	Area (in Hectares)	Population (2011)
1.	Chamba M.C	18,175,176	455.00	19,933
2.	Sultanpur	18	106.00	1113
3.	Mugla	175	87.00	141
4.	Karian	174	299.00	2790
5.	Sarol	282	282.58	2154
6.	Haripur	283	236.03	2063
7.	Udaipur	16	350.02	2163
8.	Suren	17	177.80	520
9.	Sach	20	266.18	1677
10.	Kakiyan	181	133.00	962
11.	Mangla	49	272.16	2150
12.	Saru	15	267.54	866
13.	Rajpura	284	252.22	1058

14.	Kiyani	286	398.00	1539
15.	Bhanota	14	372.30	1604
16.	Rajnagar	287	422.49	1437
<b>Total..</b>			<b>4377.32</b>	<b>42170</b>

By order,

Sd/  
(DEVESH KUMAR),  
Principal Secretary (TCP).

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th August, 2024

**No. TCP-F05/5/2023.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (2) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to include the following revenue Mohals/Villages in the **Chamba Planning Area**, already notified *vide* Notification No. PBW (B&R)(32)/86, dated 05-07-1986 and further modified *vide* notification No. TCP-F(5)-1/2002, dated 16-05-2002, namely:—

Sl. No.	Name of Revenue Village/Mohal	Hadbast No.	Area (in Hectares)	Population (2011)
1.	Sarol	282	282.58	2154
2.	Haripur	283	236.03	2063
3.	Udaipur	16	350.02	2163
4.	Suren	17	177.80	520
5.	Sach	20	266.18	1677
6.	Kakiyan	181	133.00	962
7.	Mangla	49	272.16	2150
8.	Saru	15	267.54	866
9.	Rajpura	284	252.22	1058
10.	Kiyani	286	398.00	1539
11.	Bhanota	14	372.30	1604
12.	Rajnagar	287	422.49	1437
<b>Total</b>			<b>3430.32</b>	<b>18193</b>

Consequent upon inclusion of above revenue Mohals/Villages, the Governor of Himachal Pradesh is further pleased to re-define the limits of **Chamba Planning Area** as per specifications given below:—

### SPECIFICATIONS

**North.**—Starting from the outer boundary of revenue village Rajnagar (Hadbast No. 287), following the boundary of Kiyani (Hadbast No. 286), Rajpura (Hadbast No. 284), Haripur (Hadbast No. 283), Sarol (Hadbast No. 282), upto the outer boundary of Kakian (Hadbast No. 181).

**East.**—Starting from the outer boundary of revenue Village Kakian (Hadbast No. 181) following the boundary of Chamba MC (Hadbast No. 18, 175 & 176), Mugla (Hadbast No. 175), upto the outer boundary of Karian (Hadbast No. 174).

**South.**—Starting from the outer boundary of Karian (Hadbast No. 174), following the boundary of Mugla (Hadbast No. 175), Chamba MC (Hadbast No. 18, 175 & 176), Sultanpur (on left bank of River Ravi, Hadbast No. 18), upto the outer boundary of Mangla (Hadbast No. 49).

**West.**—Starting from the outer boundary of Mangla (Hadbast No. 49), following the boundary of Sultanpur (Hadbast No.- (18, Sach (Hadbast No.-20), Suren (Hadbast No. 17), Udaipur (Hadbast No. 16), Saru (Hadbast No. 15), Bhanota (Hadbast No. 14) upto the outer boundary of Sultanpur (Hadbast No. 18, on right bank of River Ravi).

The total revenue Mohals/Villages over which provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) are enforced shall, now be as follows:—

Sl. No	Name of Revenue Village/Mohal	Hadbast No.	Area (in Hectares)	Population (2011)
1.	Chamba M.C	18,175,176	455.00	19,933
2.	Sultanpur	18	106.00	1113
3.	Mugla	175	87.00	141
4.	Karian	174	299.00	2790
5.	Sarol	282	282.58	2154
6.	Haripur	283	236.03	2063
7.	Udaipur	16	350.02	2163
8.	Suren	17	177.80	520
9.	Sach	20	266.18	1677
10.	Kakiyan	181	133.00	962
11.	Mangla	49	272.16	2150
12.	Saru	15	267.54	866
13.	Rajpura	284	252.22	1058
14.	Kiyani	286	398.00	1539
15.	Bhanota	14	372.30	1604
16.	Rajnagar	287	422.49	1437
<b>Total..</b>			<b>4377.32</b>	<b>42170</b>

By order,

Sd/-  
(DEVESH KUMAR),  
Principal Secretary (TCP).

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 20th August, 2024*

**No. TCP-F05/5/2023.**—Whereas some areas have been included in the **Chamba Planning Area** and its limits have been re-defined under clause (a) of sub-section (2) of Section 13 of the

Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) *vide* Notification No. TCP-F05/5/2023, dated 20-08-2024.

And whereas existing landuse of the newly included areas of the said Planning Area has not yet been published under sub-section (1) of Section 15 of the Act *ibid*.

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid newly included areas of the Planning Area, the change of landuse or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the areas in question in accordance with the provisions of the aforesaid Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing landuse of the newly included areas of the **Chamba Planning Area** from the date of the publication of this notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh for a period of five years.

By order,

Sd/-  
(DEVESH KUMAR),  
Principal Secretary (TCP).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० / तहसील / रीडर / 2023

तारीख पेशी : 15-07-2024

दीना नाथ पुत्र ब्यासो, निवासी मुहल्ला / गांव कुन्हा, डाकघर कोहलडी, परगना उदयपुर, तहसील व  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म / मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-1835 दिनांक 30-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/7187, दिनांक 21-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी दीना नाथ पुत्र ब्यासो, निवासी मुहल्ला / गांव कुन्हा, डाकघर कोहलडी, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 15-02-1965 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी दीना नाथ पुत्र ब्यासो, निवासी मुहल्ला / गांव कुन्हा, डाकघर कोहलडी, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि 15-02-1965 ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय के जन्म / मृत्यु अभिलेख में

दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।  
मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2022

तारीख पेशी : 15-07-2024

रेखा देवी पुत्री मदन लाल, निवासी मुहल्ला समुई, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना10) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-24 दिनांक 02-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/1449, दिनांक 27-04-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थिया रेखा देवी पुत्री मदन लाल, निवासी मुहल्ला समुई, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि 24-08-1989 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया रेखा देवी पुत्री मदन लाल, निवासी मुहल्ला समुई, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि 24-08-1989 ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 24-08-1989 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।



**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० / तहसील / रीडर / 2024

तारीख पेशी : 08-08-2024

रजनी देवी पुत्री सुन्कू, निवासी मुहल्ला हलेल, डाकघर रठियार, परगना कड़ेड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत वख्तपुर, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2024-2878 दिनांक 28-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/10062, दिनांक 13-05-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड जिसमें प्रार्थिया रजनी देवी पुत्री सुन्कू, निवासी मुहल्ला हलेल, डाकघर रठियार, परगना कड़ेड, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि 22-03-1984 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत वख्तपुर, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत वख्तपुर, विकास खण्ड मैहला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया रजनी देवी पुत्री सुन्कू, निवासी मुहल्ला हलेल, डाकघर रठियार, परगना कड़ेड, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि 22-03-1984 ग्राम पंचायत वख्तपुर, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 22-03-1984 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० / तहसील / रीडर / 2022

तारीख पेशी : 17-08-2024

सुरेखा पुत्री किरपो, निवासी मुहल्ला/गांव गुवाड, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत करिया, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-1521 दिनांक 21-04-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/6280, दिनांक 18-04-2023, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थिया सुरेखा पुत्री किरपो, निवासी मुहल्ला/गांव गुवाड, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-01-1984 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत करिया, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत करिया, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सुरेखा पुत्री किरपो, निवासी मुहल्ला/गांव गुवाड, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-01-1984 ग्राम पंचायत करिया, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-01-1984 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 17-08-2024

दुष्यंत पुत्र हीम सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव भामुई, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत हरीपुर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2096 दिनांक 13-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/8936, दिनांक 19-04-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल जन्म प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी हीम सिंह पुत्र मान सिंह निवासी मुहल्ला/गांव भामुई, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 के उसके लड़के की जन्म तिथि 09-10-2022 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत हरीपुर, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसके लड़के की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत हरीपुर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हीम सिंह पुत्र मान सिंह निवासी मुहल्ला/गांव भामुई, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा के लड़के की जन्म तिथि 09-10-2022 ग्राम पंचायत हरीपुर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के लड़के की जन्म तिथि 09-10-2022 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

मीना देवी पुत्री वृजेश्वर, निवासी मुहल्ला/गांव कुम्हारका, डा0 उटीप, तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कुम्हारका, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2103 दिनांक 13-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9054, दिनांक 19-04-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया मीना देवी पुत्री वृजेश्वर, निवासी मुहल्ला/गांव कुम्हारका, डा0 उटीप, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 16-09-1989 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कुम्हारका के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुम्हारका के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिय मीना देवी पुत्री वृजेश्वर, निवासी मुहल्ला/गांव कुम्हारका, डा0 उटीप, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 16-09-1989 को ग्राम पंचायत कुम्हारका के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 16-09-1989 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

हरबंश कौर पत्नी स्व0 श्री गुरुबक्श, निवासी मुहल्ला/गांव मुहल्ला व डा0 सुल्तानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं नगरपालिका चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1711/24 दिनांक 23-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9071, दिनांक 19-04-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी परमजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री गुरुबक्श सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव मुहल्ला व डा0 सुल्तानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की उसकी माता में मृत्यु तिथि 15-04-2020 किन्हीं कारणों से नगरपालिका चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी माता की मृत्यु तिथि को नगरपालिका चम्बा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी परमजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री गुरुबक्श सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव मुहल्ला व डा0 सुल्तानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी माता हरबंश कौर की मृत्यु तिथि 15-04-2020 नगरपालिका चम्बा के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि 15-04-2020 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

निम्मो पुत्री श्री सिंटू, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पधर साहो, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1581/24 दिनांक 09-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-6708, दिनांक 16-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया निम्मो पुत्री श्री सिंटू, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 15-07-1962 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पधर साहो के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पधर साहो के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया निम्मो पुत्री श्री सिंटू, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 15-07-1962 ग्राम पंचायत पधर साहो के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 15-07-1962 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

भारती पुत्री श्री रमेश, निवासी मुहल्ला/गांव शलहैण, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघाट, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1566/24 दिनांक 08-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7762, दिनांक 02-04-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया

रीना पत्नी श्री रमेश, निवासी मुहल्ला/गांव शलहैण, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 04-05-2017 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया रीना पत्नी श्री रमेश, निवासी मुहल्ला/गांव शलहैण, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री भारती की जन्म तिथि 04-05-2017 ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 04-05-2017 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

हिल्लो पुत्री श्री बुधि सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 रजेरा तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रजेरा, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1224/24 दिनांक 21-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-6717, दिनांक 16-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया हिल्लो पुत्री श्री बुधि सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 04-06-1965 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत रजेरा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजेरा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया हिल्लो पुत्री श्री बुधि सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 04-06-1965 ग्राम पंचायत रजेरा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में

प्रार्थिया की जन्म तिथि 04-06-1965 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : तहसील / रीडर / 2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

शुशांक कुमार महाजन पुत्र श्री राजिन्द्र कुमार महाजन, निवासी मुहल्ला / गांव ओबडी, डा0 सुल्तानपुर तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद चम्बा

विषय.—जन्म / मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या / 24 दिनांक 23-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-6734, दिनांक 16-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी शुशांक कुमार महाजन पुत्र श्री राजिन्द्र कुमार महाजन, निवासी मुहल्ला / गांव ओबडी, डा0 सुल्तानपुर तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 26-11-2000 किन्हीं कारणों से नगर परिषद चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि जन्म तिथि को नगर परिषद चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी शुशांक कुमार महाजन पुत्र श्री राजिन्द्र कुमार महाजन, निवासी मुहल्ला / गांव ओबडी, डा0 सुल्तानपुर तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 26-11-2000 को नगर परिषद चम्बा के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज / पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 26-11-2000 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

मृणाल पुत्र श्री राजिन्द्र कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव ओबडी, डा0 सुल्तानपुर, तहसील व जिला चम्बा,  
हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं नगरपरिषद चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1271/24 दिनांक 23-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-6736, दिनांक 16-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी मृणाल पुत्र श्री राजिन्द्र कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव ओबडी, डा0 सुल्तानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 13-04-1996 किन्हीं कारणों से नगरपरिषद चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य हैं इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि की जन्म तिथि को नगरपरिषद चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मृणाल पुत्र श्री राजिन्द्र कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव ओबडी, डा0 सुल्तानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 13-04-1996 को नगर परिषद चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 13-04-1996 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

आशा पुत्री श्री प्रेम लाल, निवासी मुहल्ला/गांव चम्बी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत साच, विकास खंड चम्बा



विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1162 दिनांक 18-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-6721, दिनांक 16-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया आशा पुत्री श्री प्रेम लाल, निवासी मुहल्ला/गांव चम्बी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 13-12-1963 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत साच के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत साच के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया आशा पुत्री श्री प्रेम लाल, निवासी मुहल्ला/गांव चम्बी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 13-12-1963 को ग्राम पंचायत साच के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 13-12-1963 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

उमा पुत्री ठाकरू, निवासी मुहल्ला/गांव रोणी, डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत किडी, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1746/2024 दिनांक 24-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8893, दिनांक 18-04-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया उमा पुत्री ठाकरू, निवासी मुहल्ला/गांव रोणी, डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 27-06-1983 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत किडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत किडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उमा पुत्री ठाकूर, निवासी मुहल्ला/गांव रोणी, डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 27-06-1983 को ग्राम पंचायत किडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 27-06-1983 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

ठाकुरी पुत्री साहवणू, निवासी मुहल्ला/गांव खल्ला, डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत किडी, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या /24 दिनांक 22-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-2859, दिनांक 19-02-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया ठाकुरी पुत्री साहवणू, निवासी मुहल्ला/गांव खल्ला, डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की उसकी जन्म तिथि 05-03-1979 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत किडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत किडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया ठाकुरी पुत्री साहवणू, निवासी मुहल्ला/गांव खल्ला, डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 05-03-1979 ग्राम पंचायत किडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 05-03-1979 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

राम प्यारी पुत्री अमर सिंह, निवासी मुहल्ला / गांव सैला, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गुवाड, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म / मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1726 / 2024 दिनांक 24-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8904, दिनांक 18-04-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया राम प्यारी पुत्री अमर सिंह, निवासी मुहल्ला / गांव सैला, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 14-04-1978 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत गुवाड के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गुवाड के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया राम प्यारी पुत्री अमर सिंह, निवासी मुहल्ला / गांव सैला, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 14-04-1978 ग्राम पंचायत गुवाड के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 14-04-1978 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

वीना पुत्री बजरो, निवासी मुहल्ला / गांव सुथल, डा0 गैहरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गैहरा, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म / मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1584/24 दिनांक 09-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8042, दिनांक 06-04-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया वीना पुत्री बजरो, निवासी मुहल्ला/गांव सुथल, डा0 गैहरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 31-07-1977 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत गैहरा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गैहरा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया वीना पुत्री बजरो, निवासी मुहल्ला/गांव सुथल, डा0 गैहरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 31-07-1977 ग्राम पंचायत गैहरा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 31-07-1977 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

गुड्डो देवी पुत्री डुमनू राम, निवासी मुहल्ला/गांव गागला, डा0 मैहला, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गागला, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1642/24 दिनांक 19-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-4200, दिनांक 26-02-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया गुड्डो देवी पुत्री डुमनू राम, निवासी मुहल्ला/गांव गागला, डा0 मैहला, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 02-12-1963 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत गागला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गागला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया गुड्डो देवी पुत्री डुमनू राम, निवासी मुहल्ला/गांव गागला, डा0 मैहला, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 02-12-1963 ग्राम पंचायत गागला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 02-12-1963 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

ईसा पुत्र इब्राहिम, निवासी मुहल्ला/गांव घरेड (बनी), डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्रौथा, विकास खंड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1655 दिनांक 19-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023-4194, दिनांक 26-02-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी ईसा पुत्र इब्राहिम, निवासी मुहल्ला/गांव घरेड (बनी), डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 20-08-1963 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत प्रौथा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी ईसा पुत्र इब्राहिम, निवासी मुहल्ला/गांव घरेड (बनी), डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 20-08-1963 को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 20-08-1963 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

ज्ञानू पुत्र श्री सरूप, निवासी मुहल्ला/गांव मैंगल, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हि० प्र०

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघाट, विकास खंड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1585/24 दिनांक 09-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7509, दिनांक 28-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी भिन्द्रो पुत्र श्री ज्ञानू, निवासी मुहल्ला/गांव मैंगल, डा० सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हि० प्र० में उसके पिता की मृत्यु तिथि 06-06-2003 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसके पिता के मृत्यु की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी भिन्द्रो पुत्र श्री ज्ञानू, निवासी मुहल्ला/गांव मैंगल, डा० सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हि० प्र० में उसके पिता ज्ञानू की मृत्यु तिथि 06-06-2003 को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि 06-06-2003 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

मानसी कामरोय पुत्री स्व० श्री अरुण कामरोय, निवासी मुहल्ला/गांव जनसाली चम्बा शहर, तहसील व जिला चम्बा, हि० प्र०

बनाम

आम जनता एवं नगर पालिका चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1498 दिनांक 08-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-6073, दिनांक 16-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया सीमा कामरोय पत्नी स्व0 श्री अरुण कामरोय, निवासी मुहल्ला/गांव जनसाली चम्बा शहर, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की उसकी पुत्री की मृत्यु तिथि 30-10-2021 किन्हीं कारणों से नगर पालिका चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी मृत्यु तिथि को नगर पालिका चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सीमा कामरोय पत्नी स्व0 श्री अरुण कामरोय, निवासी मुहल्ला/गांव जनसाली चम्बा शहर, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी पुत्री मानसी कामरोय की मृत्यु तिथि 30-10-2021 नगरपालिका चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की पुत्री की मृत्यु तिथि 30-10-2021 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

अक्शु पुत्र श्री रमेश, निवासी मुहल्ला/गांव शलहैण, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघाट, विकास खंड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1565/24 दिनांक 08-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7763, दिनांक 02-04-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया रीना पत्नी रमेश, निवासी मुहल्ला/गांव शलहैण, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसके पुत्र की जन्म तिथि 30-10-2022 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया रीना पत्नी रमेश, निवासी मुहल्ला/गांव शलहैण, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसके पुत्र अक्शु की जन्म तिथि 30-10-2022 को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 30-10-2022 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

दीपक कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव मुगला, डा0 हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1314/24 दिनांक 28-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7527, दिनांक 28-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी दीपक कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव मुगला, डा0 हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 14-08-1988 किन्हीं कारणों से नगर परिषद चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को नगरपरिषद चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी दीपक कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव मुगला, डा0 हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 14-08-1988 नगरपरिषद चम्बा के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 14-08-1988 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।



आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

आशा देवी पुत्री श्री चन्दू राम, निवासी मुहल्ला/गांव खनियारू, डा0 द्रडा, तहसील व जिला चम्बा,  
हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चीलबंगला, विकास खंड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1583/24 दिनांक 09-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7526, दिनांक 28-08-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया आशा देवी पुत्री श्री चन्दू राम, निवासी मुहल्ला/गांव खनियारू, डा0 द्रडा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 03-05-1970 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत चीलबंगला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चीलबंगला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया आशा देवी पुत्री श्री चन्दू राम, निवासी मुहल्ला/गांव खनियारू, डा0 द्रडा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 03-05-1970 ग्राम पंचायत चीलबंगला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 03-05-1970 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

कनिका कुमारी पुत्री श्री जितेन्द्र कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव फतेहपुर, डा0 खजियार, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खंड चम्बा।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1275/24 दिनांक 26-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7189, दिनांक 21-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी जितेन्द्र कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव फतेहपुर, डा0 खजियार, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 20-08-2022 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिंगी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिंगी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी जितेन्द्र कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव फतेहपुर, डा0 खजियार, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की पुत्री की जन्म तिथि 20-08-2022 ग्राम पंचायत सिंगी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 20-08-2022 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

सोभिया राम पुत्र श्री रिझा, निवासी मुहल्ला/गांव घुडिनी, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बख्तपुर, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1169/24 दिनांक 18-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-6705, दिनांक 16-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी सोभिया राम पुत्र श्री रिझा, निवासी मुहल्ला/गांव घुडिनी, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-01-1955 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बख्तपुर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बख्तपुर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सोभिया राम पुत्र श्री रिझा, निवासी मुहल्ला/गांव घुडिनी, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-01-1955 ग्राम पंचायत बख्तपुर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-01-1955 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-07-2024

कंचन देवी पुत्री श्री धर्मो, निवासी मुहल्ला/गांव काकला, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रजेरा, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1568 दिनांक 08-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8041, दिनांक 06-04-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया कंचन देवी पुत्री श्री धर्मो, निवासी मुहल्ला/गांव काकला, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 04-10-1974 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत रजेरा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजेरा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया कंचन देवी पुत्री श्री धर्मो, निवासी मुहल्ला/गांव काकला, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 04-10-1974 ग्राम पंचायत रजेरा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 04-10-1974 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

कृष्णा पुत्री श्री हरी सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव थलोल, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रजेरा, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1180 दिनांक 18-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य विकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-6688, दिनांक 16-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया कृष्णा पुत्री श्री हरी सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव थलोल, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 01-07-1970 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत रजेरा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजेरा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया कृष्णा पुत्री श्री हरी सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव थलोल, डा0 रजेरा तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 01-07-1970 ग्राम पंचायत रजेरा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1970 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-07-2024

गुरो पुत्र श्री धनी, निवासी मुहल्ला/गांव दृबला, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघाट, विकास खंड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1436/24 दिनांक 04-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-4197, दिनांक 26-02-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी गुरो पुत्र श्री धनी, निवासी मुहल्ला/गांव दृबला, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 01-01-1959 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी गुरो पुत्र श्री धनी, निवासी मुहल्ला/गांव दृबला, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 जन्म तिथि 01-01-1959 ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-01-1959 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-07-2024

अजय कुमार पुत्र श्री प्रताप, निवासी मुहल्ला/गांव जोत की कोठी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत साच, विकास खंड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1351 दिनांक 30-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7528, दिनांक 28-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी अजय कुमार पुत्र श्री प्रताप, निवासी मुहल्ला/गांव जोत की कोठी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 09-08-1985 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत साच के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत साच के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अजय कुमार पुत्र श्री प्रताप, निवासी मुहल्ला/गांव जोत की कोठी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 09-08-1985 ग्राम पंचायत साच के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 09-08-1985 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-07-2024

आरती देवी पुत्री श्री विशम्बर दास, निवासी मुहल्ला/गांव सरीना, डा0 राख, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जांघी, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1674/24 दिनांक 20-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7529, दिनांक 28-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया आरती देवी पुत्री श्री बिशम्बर दास, निवासी मुहल्ला/गांव सरीना, डा0 राख, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 16-02-1993 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत जांघी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जांघी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया आरती देवी पुत्री श्री बिशम्बर दास, निवासी मुहल्ला/गांव सरीना, डा0 राख, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 16-02-1993 ग्राम पंचायत जांघी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 16-02-1993 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-07-2024

रेखा देवी पुत्री श्री देस राज, निवासी मुहल्ला/गांव घोल्टी, डा0 सरोल, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सरोल, विकास खंड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1503/24 दिनांक 08-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8043, दिनांक 06-04-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया रेखा देवी पुत्री श्री देस राज, निवासी मुहल्ला/गांव घोल्टी, डा0 सरोल, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 04-05-1980 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सरोल के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सरोल के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया रेखा देवी पुत्री श्री देस राज, निवासी मुहल्ला/गांव घोल्टी, डा0 सरोल, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 04-05-1980 ग्राम पंचायत सरोल के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 04-05-1980 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-07-2024

सुनीतो पुत्री पुरखा, निवासी मुहल्ला/गांव टिकरू, डा0 मैहला, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चडी, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1305/24 दिनांक 28-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य विकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023-19865, दिनांक 20-12-2023, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया सुनीतो पुत्री पुरखा, निवासी मुहल्ला/गांव टिकरू, डा0 मैहला, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 01-07-1970 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत चडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सुनीतो पुत्री पुरखा, निवासी मुहल्ला/गांव टिकरू, डा0 मैहला, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 01-07-1970 ग्राम पंचायत चडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1970 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।



आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2024

तारीख पेशी : 24-07-2024

कर्मो पुत्र श्री वजीरू, निवासी मुहल्ला / गांव लचोडी, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सराहन, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म / मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1304/24 दिनांक 28-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023-1466, दिनांक 24-01-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी कर्मो पुत्र श्री वजीरू, निवासी मुहल्ला / गांव लचोडी, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 31-03-1964 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सराहन के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सराहन के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी कर्मो पुत्र श्री वजीरू, निवासी मुहल्ला / गांव लचोडी, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 31-03-1964 ग्राम पंचायत सराहन के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज / पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असागतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 31-03-1964 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2024

तारीख पेशी : 24-07-2024

कर्मो पुत्र श्री माधो, निवासी मुहल्ला/गांव टिकरी, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पधर, विकास खंड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या /24 दिनांक 27-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7186, दिनांक 21-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी कर्मो पुत्र श्री माधो, निवासी मुहल्ला/गांव टिकरी, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 22-05-1964 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पधर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पधर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी कर्मो पुत्र श्री माधो, निवासी मुहल्ला/गांव टिकरी, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 22-05-1964 ग्राम पंचायत पधर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 22-05-1964 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-07-2024

रीना पुत्री श्री लाल सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव डलेंई, डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत किडी, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1283/24 दिनांक 27-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा

अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023-9831, दिनांक 21-06-2023, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया रीना पुत्री श्री लाल सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव डल्लेई, डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 03-08-1988 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत किडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत किडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया रीना पुत्री श्री लाल सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव डल्लेई, डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 03-08-1988 ग्राम पंचायत किडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 03-08-1988 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 25-07-2024

पूनी पुत्री टिबलू, निवासी मुहल्ला/गांव मंझोट, डा0 कुपाडा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोल्का, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1713/2024 दिनांक 23-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8033, दिनांक 06-04-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया पूनी पुत्री टिबलू, निवासी मुहल्ला/गांव मंझोट, डा0 कुपाडा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 01-07-1956 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कोल्का के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोल्का के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया पूनी पुत्री टिबलू, निवासी मुहल्ला/गांव मंझोट, डा0 कुपाडा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 01-07-1956 ग्राम पंचायत कोल्का के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से

सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1956 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

लाम्बी देवी पुत्री श्री भगतो, निवासी मुहल्ला/गांव ओबडी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत साच, विकास खंड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1179/24 दिनांक 18-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-4198, दिनांक 26-02-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया लाम्बी देवी पुत्री श्री भगतो, निवासी मुहल्ला/गांव ओबडी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 01-01-1964 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत साच के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत साच के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया लाम्बी देवी पुत्री श्री भगतो, निवासी मुहल्ला/गांव ओबडी, डा0 साच तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 01-01-1964 ग्राम पंचायत साच के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-01-1964 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० / तहसील / रीडर / 2024

तारीख पेशी : 15-07-2024

धुट पुत्र श्री हंस, निवासी मुहल्ला / गांव खगा, डा० किडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत किडी, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म / मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1580/24 दिनांक 09-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-6703, दिनांक 16-03-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी धुट पुत्र श्री हंस, निवासी मुहल्ला / गांव खगा, डा० किडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-01-1963 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत किडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत किडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी धुट पुत्र श्री हंस, निवासी मुहल्ला / गांव खगा, डा० किडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-01-1963 ग्राम पंचायत किडी के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज / पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-01-1963 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० / तहसील / रीडर / 2024

तारीख पेशी : 24-07-2024

मंजू देवी पुत्री श्री अमर नाथ, निवासी मुहल्ला / गांव व डा० रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हि० प्र०

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रजेरा, विकास खंड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1465/24 दिनांक 04-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7771, दिनांक 02-04-2024, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल आधार कार्ड, (5) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया मंजू देवी पुत्री श्री अमर नाथ, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 में उसकी जन्म तिथि 18-08-1971 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत रजेरा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है, इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजेरा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया मंजू देवी पुत्री श्री अमर नाथ, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 18-08-1971 ग्राम पंचायत रजेरा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 18-08-1971 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलसदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर /तहसील /रीडर/2024

तारीख पेशी : 17-08-2024

इन्द्रा देवी पुत्री चंदू राम, निवासी गांव/मुहल्ला जैन्त्रा, परगना कलन्द्रा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

साधारण आम जनता

विषय.—कागजात माल में प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थिया इन्द्रा देवी पुत्री चंदू राम, निवासी गांव/मुहल्ला मगुआ, परगना जैन्त्रा परगना कलन्द्रा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत गागला, विकास खंड मैहला में इन्द्रा देवी दर्ज है, जोकि सही व दुरुस्त है। परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जान्धी के मुहाल कुरांह के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सिमा देवी दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जान्धी के मुहाल कुरांह के राजस्व अभिलेख में सिमा देवी की बजाये इन्द्रा देवी दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि सिमा देवी के नाम को इन्द्रा देवी दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलसदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलसदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर /तहसील /रीडर/2024

तारीख पेशी : 17-08-2024

शक्ति प्रशाद पुत्र माधो, निवासी गांव/मुहल्ला मगुआ, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थी शक्ति प्रशाद पुत्र माधो, निवासी गांव/मुहल्ला मगुआ, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खंड चम्बा में शक्ति प्रशाद दर्ज है, जोकि सही व दुरुस्त है। परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल जडेरा के राजस्व अभिलेख में उसका नाम शक्ति प्रशाद दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल जडेरा के राजस्व अभिलेख में शक्ति की बजाये शक्ति प्रशाद दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि शक्ति के नाम को शक्ति प्रशाद दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलसदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलसदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर /तहसील /रीडर/2024

:

हिमो पुत्र रसालू, निवासी गांव/मुहल्ला, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थी हिमो पुत्र रसालू, निवासी गांव/मुहल्ला, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खंड चम्बा व उसके आधार कार्ड में हिमो दर्ज है, जोकि सही व दुरुस्त है। परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल धार के राजस्व अभिलेख में उसका नाम हेमो दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल धार के राजस्व अभिलेख में हेमो की बजाये हिमो दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि हेमो के नाम को हिमो दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं नायब तहसीलसदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलसदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर /तहसील /रीडर/2024

तारीख पेशी : 17-08-2024

हाशम पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी गांव/मुहल्ला अकेरा, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता



विषय.—कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थी हाशम पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी गांव/मुहल्ला अकेरा, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खंड चम्बा व उसके आधार कार्ड में हाशम दर्ज है, जोकि सही व दुरुस्त है। परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल धार के राजस्व अभिलेख में उसका नाम हसनदीन उर्फ हासमदीन दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल धार के राजस्व अभिलेख में हसनदीन उर्फ हासमदीन की बजाये हाशम दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि हसनदीन उर्फ हासमदीन के नाम को हाशम दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलसदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलसदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : 2/तहसील /रीडर/2024

तारीख पेशी : 03-09-2024

दौलत राम पुत्र घेपलिया, निवासी गांव जटकरी, परगना भडियाँ, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थी दौलत राम पुत्र घेपलिया, निवासी गांव जटकरी, परगना भडियाँ, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत जटकरी, विकास खंड मैहला में दौलत राम दर्ज है, जोकि सही व दुरुस्त है। परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल भडियाँ के मुहाल जटकरी के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दिलो राम दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल भडियाँ के मुहाल जटकरी के राजस्व अभिलेख में दिलो राम की बजाये दौलत राम दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि दिलो राम के नाम को दौलत राम दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलसदर,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H.P.)**

Case No.: 29/2024

Date of Instt.: 19-08-2024

Date of Decision: 18-09-2024

Sh. Madan Lal Shukla s/o Late Sh. Hari Nand Shukla, r/o Village Kotla Namwala Deothi,  
P.O. Darla, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) ..Applicant.

*Versus*

General Public

..Respondent.

*Regarding delayed registration of death event under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.*

Sh. Madan Lal Shukla s/o Late Sh. Hari Nand Shukla, r/o Village Kotla Namwala Deothi, P.O. Darla, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his mother Late Smt. Radha Devi w/o Late Sh. Hari Nand Shukla was expired on 29-03-1983 at Village Kotla Namwala Deothi, P.O. Darla, but her death has not been entered in the records of Gram Panchayat Darla, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No.- 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Darla, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed death event of Late Smt. Radha Devi, may submit their objections in writing to this office on or before 18-09-2024 at 10:00 AM, failing which, no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 19th day of August, 2024.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Arki, Distt. Solan (H.P.)

**Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H.P.)**

Case No.: 27/2024

Date of Instt.: 17-08-2024

Date of Decision: 16-09-2024

Smt. Himi w/o Sh. Het Ram, r/o Village Sohra Kanaitan, P.O. Sewra Chandi, Tehsil Arki,  
Distt. Solan (H.P.) ..Applicant.

*Versus*

General Public

..Respondent.

*Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth & Death  
Registration Act, 1969.*

**Proclamation**

Smt. Himi d/o Sh. Nathu Ram, r/o Village Sohra Kanaitan, P.O. Sewra Chandi, Tehsil Arki,  
Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act,  
1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 01-07-1970 at  
Village Sohra Kanaitan, P.O. Sewra Chandi, but his birth has not been entered in the records of  
Gram Panchayat Kashlog, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate  
No.- 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Kashlog, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person  
having objection for registration of delayed birth event of Smt. Himi, may submit their objections  
in writing to this office on or before 16-09-2024 at 10:00 AM, failing which, no objection will be  
entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 17th day of August, 2024.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Arki, Distt. Solan (H.P.)

**Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H.P.)**

Case No.: 28/2024

Date of Instt.: 17-08-2024

Date of Decision: 16-09-2024

Sh. Narender Sharma s/o Sh. Puran Dutt, r/o Village Koyal Sanog, P.O. Materni, Tehsil  
Arki, Distt. Solan (H.P.) ..Applicant.

*Versus*

General Public

..Respondent.

*Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth & Death  
Registration Act, 1969.*

**Proclamation**

Sh. Narender Sharma s/o Sh. Puran Dutt, r/o Village Koyal Sanog, P.O. Materni, Tehsil  
Arki, Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth and Death Registration

Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he was born on 10-09-1989 at Village Koyal Sanog, P.O. Materni, but his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Materni, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No.- 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Materni, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth event of Sh. Narender Sharma, may submit their objections in writing to this office on or before 16-09-2024 at 10:00 AM, failing which, no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 17th day of August, 2024.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Arki, Distt. Solan (H.P.)

**Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H.P.)**

Case No.: 30/2024

Date of Instt.: 19-08-2024

Date of Decision: 18-09-2024

Smt. Kaushlya Devi w/o Sh. Rattan Lal, r/o Village Dangri, P.O. Manjyat, Tehsil Arki,  
Distt. Solan (H.P.) ..Applicant.

*Versus*

General Public

..Respondent.

*Regarding delayed registration of death event under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.*

**Proclamation**

Smt. Kaushlya Devi w/o Sh. Rattan Lal, r/o Village Dangri, P.O. Manjyat, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her Father-in-Law Late Sh. Mast Ram s/o Benu Ram was expired on 23-09-2018 at Village Dangri, P.O. Manjyat, but his death has not been entered in the records of Gram Panchayat Deora, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No.- 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Deora, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed death event of Late Sh. Mast Ram, may submit their objections in writing to this office on or before 18-09-2024 at 10:00 AM, failing which, no objection will be entertained afterwards.

Given under my hand and seal of this office on this 19th day of August, 2024.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Arki, Distt. Solan (H.P.)

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Mr. Mahinder Kumar s/o Mr. Jeet Ram, r/o Village & P.O. Kakkarhatti, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) and Mrs. Barfi Devi d/o Lt. Sh. Sant Ram and w/o Mr. Mahinder Kumar, r/o Village & P.O. Kakkarhatti, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) have filed application for the registration of their marriage, which was solemnized on 04-04-2009 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Mahinder Kumar & Mrs. Barfi Devi were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for solemnization of their marriage.

Notices are given to all concerned and general public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage between the above parties *i.e.* Mr. Mahinder Kumar s/o Mr. Jeet Ram, r/o Village & P.O. Kakkarhatti, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) and Mrs. Barfi Devi d/o Lt. Sh. Sant Ram and w/o Mr. Mahinder Kumar, r/o Village & P.O. Kakkarhatti, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the aforesaid marriage certificate would be issued to the applicants by this court post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 13th day of August, 2024.

Seal.

DR. POONAM, HPAS,  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,  
Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Dharmender Gupta aged 46 years D.O.B. 09-01-1978 s/o Sh. Kishori Lal Gupta, r/o House No. 116, Sector-1, Parwanoo, Sub- Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.).

2. Smt. Anchal Gupta aged 32 years D.O.B. 21-01-1992 d/o Sh. Navjeevan Sharma, r/o Ward No. 5, Pathshala Gali, Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.)

*Versus*

General Public

*Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.*

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Dharmender Gupta aged 46 years D.O.B. 09-01-1978 s/o Sh. Kishori Lal Gupta, r/o House No. 116, Sector-1, Parwanoo, Sub- Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.) (Bride Groom)

and Ms. Anchal Gupta aged 32 years D.O.B. 21-01-1992 d/o Sh. Navjeevan Sharma, r/o Ward No. 5, Pathshala Gali, Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) at present Smt. Anchal Gupta w/o Sh. Dharmender Gupta s/o Sh. Kishori Lal Gupta, r/o House No. 116, Sector-1, Parwanoo, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 19-07-2024 that they solemnized their marriage with each other on 19-05-2017. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 23-09-2024, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 23-08-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Kasauli, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Sh. Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar),  
Solan, District Solan (H.P.)**

In the matter of:

Smt. Amari Devi d/o Prem Dass w/o Sh. Gulab Singh, r/o Village & P.O. Malera, Ropar, Kuthar, Sub-Tehsil Krishangarh, Distt. Solan (H.P.)-173 206. *..Applicant.*

*Versus*

General Public

*..Respondent.*

*Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.*

Whereas, Smt. Amari Devi d/o Prem Dass and Smt. Mala Devi w/o Sh. Gulab Singh, r/o Village & P.O. Malera, Ropar, Kuthar, Sub-Tehsil Krishangarh, Distt. Solan (H.P.)-173 206 has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her date of birth i.e. 25-05-1975 and her place of birth is at Village Dharon, P.O. Jaunaji, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Jaunaji, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Amari Devi d/o Prem Dass and Smt. Mala Devi may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 16-09-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 16th day of August, 2024.

Seal.

Sd/-

(MULTAN SINGH BANYAL),  
*Executive Magistrate (Tehsildar),  
Solan, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Sh. Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar),  
Solan, District Solan (H.P.)**

In the matter of:

Sh. Sonu s/o Sh. Dhan Bahadur, permanent r/o Village Surkhet, District Mehalkuna, Nepal presently residing at Village Shamlech, P.O. Bohli, Tehsil and Distt. Solan (H.P.)173 229.

..Applicant.

*Versus*

General Public

..Respondent.

*Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.*

Whereas, Sh. Sonu s/o Sh. Dhan Bahadur, permanent r/o Village Surkhet, District Mehalkuna, Nepal presently residing at Village Shamlech, P.O. Bohli, Tehsil and Distt. Solan (H.P.)-173 229 has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of date of birth of his son namely Vikram s/o Sh. Sonu and Smt. Sarita whose date of birth is 12-10-2002 and his place of birth is at Village Shamlech, P.O. Bohli, Tehsil and Distt. Solan (H.P.), but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Anhech, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Vikram s/o Sh. Sonu and Smt. Sarita may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 21-09-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of August, 2024.

Seal.

Sd/-  
(MULTAN SINGH BANYAL),  
Executive Magistrate (Tehsildar),  
Solan, District Solan (H.P.).

**In the Court of Sh. Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar),  
Solan, District Solan (H.P.)**

In the matter of:

Sh. Hark Bahadur s/o Late Sh. Man Singh, r/o Geeta Bhawan, Ward No. 12, Near Waliya House, Sunny Side Solan, Tehsil and Distt. Solan (H.P.)

..Applicant.

*Versus*

General Public

..Respondent.

*Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.*

Whereas, Sh. Hark Bahadur s/o Late Sh. Man Singh, r/o Geeta Bhawan, Ward No. 12, Near Waliya House, Sunny Side Solan, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of date of birth of his son namely Rohit s/o Sh. Hark Bahadur and Smt. Radha whose date of birth is 15-11-2011 and his place of birth is at Geeta Bhawan, Ward No. 12, Near Waliya House, Sunny Side Solan, Tehsil and Distt. Solan (H.P.), but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Corporation Solan, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Rohit s/o Sh. Hark Bahadur and Smt. Radha may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 21-09-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of August, 2024.

Seal.

Sd/-  
(MULTAN SINGH BANYAL),  
Executive Magistrate (Tehsildar),  
Solan, District Solan (H.P.).

ब अदालत श्री मोहन लाल महन्त, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,  
उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 08 / 2024

संस्थापन तिथि : 31-07-2024

उषा देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार, निवासी तड़ोल, डा0 गाहीघाट, उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इशतहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में हर आम/खास जनता व जनसाधारण को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि उषा देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार, निवासी तड़ोल, डा0 गाहीघाट, उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि0प्र0) ने अपना जन्म इन्द्राज बारे प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित दायर किया है कि उसका जन्म 03-05-1978 को हुआ था जिसका किसी कारणवश ग्राम पंचायत भोजनगर के रिकार्ड में जन्म का इन्द्राज नहीं करवा सकें जिसका अब वह ग्राम पंचायत भोजनगर के रिकार्ड में जन्म इन्द्राज करवाना चाहते हैं जो उप-मण्डलाधिकारी (ना0) कसौली के माध्यम से बराये पारित आदेश इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है यदि किसी को उपरोक्त के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत भोजनगर के रिकार्ड में दर्ज होने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 01-09-2024 या इससे पूर्व अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में इस कार्यालय में पेश कर सकते हैं अन्यथा वादी द्वारा



आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त की जन्म तिथि का इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे तथा बाद गुजरने मियाद किसी का कोई एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,  
उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मोहन लाल महन्त, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,  
उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 09 / 2024

संस्थापन तिथि : 12-04-2024

उनवान मुकद्दमा :- आवेदन पत्र बराये दुरुस्ती इन्द्राज खाना काश्त जेर धारा 37 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

1. श्री कर्म चन्द पुत्र प्रेम सिंह स्वयं व बजरिया मुखत्यारे आम मिन जानिब प्रेम सिंह, ज्ञान चन्द हरदेव, राजिन्द्र कुमार, निवासी तीड़ो, उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन, हि0 प्र0।

बनाम

श्री बाबू राम, बालक राम पुत्र व श्रीमती सोमा देवी पत्नी स्व0 पत्त राम, निवासी तीड़ो, उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन, हि0 प्र0

यह आवेदन श्री कर्म चन्द पुत्र प्रेम सिंह, निवासी तीड़ो, उप-तहसील परवाणू ने इस आशय से गुजारा है कि राजस्व अभिलेख में भूमि खाता/खतौनी नम्बर, 38 मिन/99, मिन खसरा नम्बर 1319, रकबा तादादी 00-05-44 हैक्टेयर वाक्या मौजा तीड़ो के जमाबन्दी खाना नम्बर 5 में कब्जा श्री पत्त राम पुत्र भुण्डा राम, निवासी महाल तीड़ो, उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन, हि0 प्र0, कब्जा बतौर काबिज दर्ज कागजात माल चला आ रहा है, जबकि उक्त रकबा पर प्रार्थीगण का कब्जा मौका है। जिसे राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाना उचित है।

आवेदन पत्र बराये छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो परवाणू को भेजा गया था जो बाद रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी तीड़ो/कानूनगो परवाणू भूमि खसरा नम्बर 1319, रकबा तादादी 00-05-44 हैक्टेयर पर कब्जा मौका मालिक कर्म चन्द पुत्र प्रेम सिंह आदि पाया गया। छानबीन मौका दोनों पक्षों की उपस्थिति में की गई तथा ब्यान कलमबद्ध करके संलग्न मिसल किये गये हैं। हर दो पक्ष कब्जा मौका अनुसार कागजात माल में दुरुस्ती करने में सहमत हैं।

अतः इस बाबत आम जनता/हितबद्ध व्यक्तियों को इस इश्तहार को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि खसरा नम्बर, रकबा तादादी 00-05-44 हैक्टेयर स्थित मौजा तीड़ो का इन्द्राज खाना काश्त काबिज पत्त राम पुत्र भुण्डा राम के बजाये कब्जा स्वयं प्रेम सिंह आदि मालकान का दर्ज किया जाना है, इस बारे यदि किसी को कोई भी उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अपना एतराज इश्तहार के जारी होने के 30 दिन के अन्दर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का एतराज काबिले गौर न होगा तथा राजस्व अभिलेख में आपेक्षित दुरुस्ती कर दी जाएगी।

आज दिनांक 19-08-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,  
उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि0प्र0)।

-----

**CHANGE OF NAME**

I, Muskaan Thakur (25) d/o Dilip Thakur, r/o Ward No. 7, Near Kalibari Mandir, Ghuggar Nala Road, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that in my Matriculation certificate my father's name has been wrongly been written as Dilip in place of Dilip Thakur and my mother's Suman in place of Suman Thakur. My father's correct name is Dilip Thakur and mother's correct name is Suman Thakur.

MUSKAAN THAKUR  
d/o Dilip Thakur,  
r/o Ward No. 7, Near Kalibari Mandir,  
Ghuggar Nala Road, Tehsil Palampur,  
District Kangra (H.P.).

-----

**CHANGE OF NAME**

I, Bheema Devi w/o Sh. Shankar Lal aged about 56 years, r/o Village & P.O. Dheola, District Solan (H.P.) do hereby solemnly affirm declare that in my Adhaar Card my name is wrongly recorded as Reena Devi. My correct name is Bheema Devi. All concerned may please note.

BHEEMA DEVI  
w/o Sh. Shankar Lal,  
r/o Village & P.O. Dheola,  
District Solan (H.P.).

-----

**CHANGE OF NAME**

I, Khem Raj s/o Sh. Tula Ram, r/o Village Gharech, P.O. Kufri, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son name from Hari Prasad (Previous Name) to Suraj Oli (New Name) all concerned please may notice.

KHEM RAJ  
s/o Sh. Tula Ram,  
r/o Village Gharech, P.O. Kufri,  
Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, ममता देवी (42) पुत्री बुध राम, गांव टिक्कर-जाबल, डा0 पट्टा, तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0प्र0) ब्यान करती हूं कि स्कूल सर्टिफिकेट व हिमाचली प्रमाण-पत्र में मेरा नाम ममता देवी है, जबकि आधार कार्ड पर ममता है। दोनों नाम मेरे ही हैं। अब मैं आधार कार्ड में भी अपना नाम ममता देवी करवाना चाहती हूं।

ममता देवी,  
पुत्री बुध राम,  
गांव टिक्कर-जाबल, डा0 पट्टा,  
तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0प्र0)।

**नगर निगम शिमला****अधिसूचना****दिनांक 24अगस्त, 2024**

**ननिशि/सदन सहा0/2323/ई-गव/2024-1934.**—हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) की धारा 35 और धारा 36 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 395 के खण्ड (6) के भाग 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम शिमला द्वारा बनाई गई उप-विधियां जैसे कि उक्त अधिनियम की धारा 397 के अधीन अपेक्षित है, एतद्वारा प्रकाशित की जाती हैं और ये उप-विधियां शिमला नगर निगम की सीमाओं के भीतर, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम.**—इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम शिमला नगर निगम महापौर, उप-महापौर और पार्षदों के लिए सुविधाएं (संशोधन) उप-विधियां 2024 है।

**2. उप-विधियां 3 में संशोधन.**—उप-विधि 3 में, "राशि रु0 20000 और 15000" शब्दों और अंकों के स्थान पर "राशि रु0 24000 और 18000" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

**3. उप-विधियां 9 में संशोधन.**—उप-विधि 9 में "राशि रु0 7000" शब्दों और अंकों के स्थान पर "राशि रु0 8400" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

हस्ताक्षरित /—  
आयुक्त,  
नगर निगम शिमला।

**MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA****NOTIFICATION**

*Dated, the 24th August, 2024*

**No. MCS/MA/2323/e.gov./2024-1933.**—The following amendment in the Shimla Municipal Corporation (Facilities to Mayor, Deputy Mayor and Councilors) Bye-Laws, 1996 made by the Municipal Corporation, Shimla in exercise of the powers conferred by sub-clause (6) of clause (I) of Section 395, read with Section 35 and sub-section (3) of Section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) are hereby published for general information as required under Section 397 of the said Act and shall come into force within the area of Municipal Corporation Shimla from the date of publication of this notification in the Rajpatra (extra ordinary) Himachal Pradesh, namely:—

**1. Short title.**—These Bye-Laws may be called the Shimla Municipal Corporation (Facilities to Mayor, Deputy Mayor and Councillors) (Amendment) Bye-Laws, 2024.

**2. Amendment of Bye-Laws 3.**—In Bye-Laws 3 for the figure “20000” and “15000” the figure “24000” and “18000” shall respectively be substituted.

**3. Amendment of Bye-Laws 9.**—In Bye-Laws 9 for the figure “7000” the figure “8400” shall be substituted.

Sd/-  
Commissioner,  
Municipal Corporation, Shimla.